कम्प्यूटर परिपत्र सं0- 1819023 दिनांक 03-08-2018

पत्र संख्या-स0द0/SIB MANAGEMENT SYSTEM(SMS)/2017-18// 1139 // वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश

(वि0अनु0शा0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 03 ~~जुलाई~~ अगस्त,2018

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)/

ज्वाइण्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/

असिस्टेण्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी/

वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे प्रान्तीय अधिनियम कहा जाएगा) की धारा-67 के अन्तर्गत की जाने वाली तलाशी एवं अभिग्रहण की कार्यवाही के पश्चात प्रान्तीय अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध में जोन तथा मुख्यालय स्तर पर प्रभावी मानीटरिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभागीय वेबसाईट www.comtax.up.nic.in के व्यास सेन्ट्रल माड्यूल में SIB MANAGEMENT SYSTEM(SMS) लिंक विकसित किया गया है जिसमें किसी कराधेय व्यक्ति अथवा माल के परिवहन के कारोबार में लगे व्यक्ति अथवा किसी भण्डागार या गोदाम स्वामी अथवा संचालक के व्यापार स्थल अथवा किसी अन्य स्थल की तलाशी एवं अभिग्रहण के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1819012 दिनांक 24-05-2018 में दिए गए निर्देशों के क्रम में कृत कार्यवाही से सम्बन्धित प्रविष्टियां चरणबद्ध ढंग से उक्त विकसित किए गए लिंक पर की जाएंगी ।

2. प्रान्तीय अधिनियम की धारा-67 के अन्तर्गत ज्वाइण्ट कमिश्नर से अनिम्न स्तर का अधिकारी ही प्रॉपर आफीसर है तथा ऐसे प्रॉपर आफीसर अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा तलाशी एवं अभिग्रहण की कार्यवाही की जानी है । विभागीय संरचना को ध्यान में रखते हुए किसी भी तलाशी के पूर्व एवं तलाशी के समय तथा ऐसी तलाशी के पश्चात प्रान्तीय अधिनियम की विभिन्न धाराओं में वांछित कार्यवाही की अद्यतन स्थिति एवं उसकी मानीटरिंग के लिए विकसित किए गए SMS माड्यूल में प्रवर्तन तथा कर निर्धारण कार्यों में लगे अधिकारियों द्वारा चरणबद्ध ढंग (Step by step) से प्रविष्टियां की जानी अपेक्षित हैं । इस माड्यूल में विभिन्न चरणों की प्रविष्टियों हेतु निम्न लिंक दिए गए हैं :-

A. Entry Menu **B. Update Menu** **C. Report Menu**

A. Entry Menu इस मेन्यू के अन्तर्गत विभिन्न चरणों में की जाने वाली प्रविष्टियों हेतु निम्न सबमेन्यू उपलब्ध हैं:-

(i)	केस प्रोफाईल	(Case Profile)
(ii)	तलाशी प्राधिकार पत्र	(Search Warrant)
(iii	तलाशी का विवरण	(Search Details)
(iv)	अनन्तिम अवमुक्त	(Provisional Release)
(v)	अभिग्रहीत माल की जब्ती	(Adjudication of Seized Goods)
(vi)	जांच आख्या	(Investigation Report)

(vii) न्याय निर्णयन (Determination of Tax and Penalty)

(viii) अपीलीय स्थिति (Appeal Status)

(ix) वसूली (Recovery of Tax and Penalty)

(i) केस प्रोफाईल (Case Profile)

किसी भी तलाशी एवं इसके परिणाम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तलाशी के पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति, स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना एकत्र करते हुए उसके मूल्यांकन के आधार पर तलाशी का निर्णय लेते हुए ज्वाइण्ट कमिश्नर या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा तलाशी प्राधिकार पत्र जारी किया जाए। किसी भी तलाशी से पूर्व केस प्रोफाईल तैयार की जाएगी। वाणिज्य कर अधिकारी, असिस्टेन्ट कमिश्नर अथवा डिप्टी कमिश्नर द्वारा विभागीय वेबसाईट www.comtax.up.nic.in के होम पेज पर डिपार्टमेन्टल सर्विसेज में बिल अपलोडिंग / इन्ट्री माड्यूल में अपनी लॉगिन आई0डी0 से ओपेन करने पर SMS विन्डो पर क्लिक किया जाएगा जिससे एक नया पेज खुलेगा जिसके बांयी ओर अलग-अलग मेन्यू बार प्रदर्शित होंगे। सर्वप्रथम ओ0टी0पी0 आधारित एक केस नम्बर तैयार किया जाएगा। केस प्रोफाईल में जाकर केस नम्बर चयनित करते हुए वांछित प्रविष्टियां की जाएंगी। यदि केस प्रोफाईल के किसी क्रमांक पर अंकित विवरण में कोई प्रविष्टि नहीं की जानी है तब उसे रिक्त छोड़ दिया जाएगा। उसमें N/A अथवा 0.0 की प्रविष्टि कदापि नहीं की जाएगी। अंत में जिस सक्षम अधिकारी से तलाशी का प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जाना है उसका चयन करते हुए केस प्रोफाईल सबमिट की जाएगी। यदि ज्वाइण्ट कमिश्नर अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा केस प्रोफाईल स्वयं तैयार की गई हो तब उसे स्वयं के लिए ही सबमिट किया जा सकेगा।

(ii) तलाशी प्राधिकार पत्र (Search Warrant)

सबमिटेड केस प्रोफाईल सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध हो जाएगी जिसमें वांछित प्रविष्टियां करने के पश्चात वेरिफाई किया जाएगा एवं तलाशी का अधिकार पत्र आई0एन0एस0-01 के लिंक पर जाकर इसे जारी किया जा सकेगा।

(iii) तलाशी का विवरण (Search Details)

तलाशी के उपरान्त 24 घण्टे के अन्दर सर्च डिटेल्स, मेन्यू में विवरण अंकित किया जाएगा। यदि केस प्रोफाईल ज्वाइण्ट कमिश्नर या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार की गई हो, तब उस अधीनस्थ अधिकारी, जिसे केस नम्बर ट्रांसफर किया जाएगा द्वारा सर्च डिटेल्स का विवरण भरा जाएगा तथा परिपत्र संख्या-1819012 दिनांक 24-05-2018 से निर्गत निर्देश के अुनसार सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0), ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) / (कार्यपालक) खण्ड कार्यालय को तलाशी की प्रारम्भिक रिपोर्ट ऑनलाईन प्रेषित की जाएगी।

(iv) अनन्तिम अवमुक्त (Provisional Release)

प्रान्तीय अधिनियम की धारा-67(2) के अन्तर्गत तलाशी के समय जब्ती योग्य माल का अभिग्रहण किए जाने पर ऐसे माल को उपधारा-(6) के अन्तर्गत अनन्तिम रुप से छोड़े जाने का प्रावधान है। अभिग्रहीत माल को अनन्तिम रुप से छोड़े जाने से सम्बन्धित प्रविष्टियां करने के पश्चात वेरिफाई किया जाएगा।

(v) अभिग्रहीत माल की जब्ती (Adjudication of Seized Goods)

तलाशी के दौरान जब्ती योग्य माल का अभिग्रहण किए जाने के पश्चात प्रान्तीय अधिनियम की धारा-67(7) में प्रावधानित समयावधि में धारा-130 के अन्तर्गत नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। धारा-130 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही से सम्बन्धित विवरणों की प्रविष्टियां करने के पश्चात वेरिफाई किया जाएगा।

(vi) जांच आख्या (Investigation Report)

प्रान्तीय अधिनियम की धारा-67(2) के अन्तर्गत तलाशी के पश्चात अभिग्रहीत अभिलेखों की अग्रिम जांच करते हुए जांच रिपोर्ट से सम्बन्धित विवरण की प्रविष्टियां वेरिफाई करते हुए जांच रिपोर्ट पी0डी0एफ0 फाईल में अपलोड की जाएगी। जांच रिपोर्ट सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को ड्रापडाउन से चयनित करते हुए उसे प्रेषित की जाएगी तथा अभिग्रहीत अभिलेखों को पूर्व में इस सम्बन्ध में जारी निर्गत परिपत्र के अनुसार प्रेषित किया जाएगा।

(vii) न्याय निर्णयन (Determination of Tax and Penalty)

तलाशी की जांच आख्या के आधार पर प्रान्तीय अधिनियम की धारा-73 अथवा धारा-74 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन की कार्यवाही सम्बन्धित प्रॉपर आफीसर (कर निर्धारण अधिकारी) द्वारा की जाएगी तथा कृत कार्यवाही से सम्बन्धित विवरण अपनी लॉगिन आई0डी0 से सम्बन्धित माड्यूल में जाकर की जाएगी।

(viii) अपीलीय स्थिति (Appeal Status)

प्रान्तीय अधिनियम की धारा-73 अथवा धारा-74 की कार्यवाही के पश्चात सम्बन्धित मामले में की जाने वाली अपीलों एवं उसमें दिए गए निर्णयों से सम्बन्धित प्रविष्टियां भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्ण करते हुए वेरिफाई की जाएंगी।

(ix) वसूली (Recovery of Tax and Penalty)

इस मेन्यू से सम्बन्धित प्रविष्टियां भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्ण करते हुए वेरिफाई की जाएंगी।

(B) Update Menu

किसी भी मेन्यू में यदि किसी क्रमांक के सम्मुख तत्समय कोइ तथ्य उपलब्ध न हो तब उस कॉलम को रिक्त छोड़ दिया जाएगा। उसमें N/A अथवा 0.0 की प्रविष्टि कदापि नहीं की जाएगी। कुछ मेन्यू में प्रविष्टि करते समय कतिपय तथ्य तत्समय उपलब्ध नहीं होंगे बल्कि उनका निर्धारण बाद में होगा। ऐसी प्रविष्टियां सम्बन्धित मेन्यू में करने हेतु अपडेट के मेन्यू बार पर जाकर की जा सकेंगी।

(C) Report Menu

इन्ट्री मेन्यू में जो प्रविष्टियां की गई हैं उसे रिपोर्ट मेन्यू में देखा जा सकता है।

3. प्रदेश के सभी जोन द्वारा MPR-13-1(NEW) में प्रेषित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह अप्रैल, मई एवं जून में क्रमशः 427, 364 एवं 190 इस प्रकार कुल 981 मामलों में तलाशी किया जाना रिपोर्ट किया गया है। इन सभी मामलों की प्रविष्टि के साथ-साथ माह जुलाई एवं 22 अगस्त 2018 तक की गई तलाशी से सम्बन्धित विवरण को भी SMS माड्यूल में निर्धारित किए जा रहे निम्न शेड्यूल के अन्तर्गत पूर्ण किया जाएगा।

क्र0सं0	माह	SMS माड्यूल में फीडिंग की अवधि
1	माह अप्रैल 2018	दिनांक 06-08-2018 से दिनांक 09-08-2018 तक
2	माह मई 2018	दिनांक 10-08-2018 से दिनांक 14-08-2018 तक

3	माह जून 2018	दिनांक 16-08-2018 से 18-08-2018 तक
4	माह जुलाई 2018	दिनांक 20-08-2018 से दिनांक 22-08-2018 तक
5	दिनांक 01-08-2018 से दि0 22-08-2018 तक	दिनांक 23-08-2018 से दिनांक 25-08-2018 तक

4. दिनांक 23-08-2018 से Case profile SMS module पर submit की जाएगी तथा इसी के आधार पर INS-01 निर्गत किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनांक:उक्त।

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. एडीशनल कमिश्नर(जी0एस0टी0/विधि)वाणिज्य कर मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. एडीशनल डायरेक्टर, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. ज्वाइण्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।